न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 68/2025

ईश्वर सिंह पुत्र दयाल सिंह राजपूत, निवासी चिंचड़ौली, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

–अपीलान्ट–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये (क्षेत्रिय वन अधिकारी खेतड़ी), जरिये न्यायालय उपवन संरक्षक, जिला झुन्झुनू।

–रेस्पोडेन्ट–

प्रथम अपील अ. सेक्शन 75(1) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांकित 26.12.2024 न्यायालय उपवन संरक्षक झुन्झुनू बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम ईश्वर सिंह, किस्म मुकदमा धारा 91 एल.आर.एक्ट. 1956 मुकदमा नम्बर 74/2021

उपस्थितिः–

1. श्री अमित शर्मा, अधिवक्ता............................अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता..........रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक : 19/5/2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि योग्य अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई हेतु व जवाब हेतु तारीख दिनांक 25.10.2024 की नियत की जिस पर अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष हाजिर होकर जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। परन्तु अदालत मातहत ने बाला–बाला ही दिनांक 26.12.2024 को उक्त प्रकरण का निर्णय कर दिया। अपीलांट को साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का अवसर ही नही दिया गया। अदालत मातहत ने दिनांक 26.12.2024 को उक्त निर्णय पारित करते समय पत्रावली पर सही ढंग से अपना माईण्ड अप्लाई नही किया व मामला हाजा पर सही ढंग से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:12:26 IST
Reason: Self Attested

गौर नही फरमाया जबकि अदालत मातहत ने अपीलांट को ग्राम चिंचडोली के खसरा नम्बर 187 कुल रकबा 1.22 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन जंगल में से लगभग 0.07475 हैक्टर भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया ही अवैध है क्योंकि अपीलांट का मुख्य धंधा मजदूरी है तथा अपीलांट के पास रिहायश हेतु उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है तथा उक्त अतिक्रमी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कर व उक्त भूमि का नियमन कर आबादी हेतु पट्टा आंवटित किया गया है। भूमि हाल खसरा नम्बर 187 जिसके गत खसरा नम्बर 96 मौजा चिंचडौली तहसील खेतड़ी है जिसकी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012–2031 में खातेदार गोदू वल्द बिंजा कौम जाट के नाम बारानी सोयम दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2012 में भी उक्त गत खसरा नम्बर 96 की आराजीयात का खातेदार गोदू वल्द बींजा जाट के नाम दर्ज है तथा उक्त आराजीयात की किस्म बारानी सोयम है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2015 में भी उक्त गत खसरा नम्बर 96 की आराजीयात का खातेदार गोदू वल्द बींजा जाट के नाम दर्ज है तथा उक्त आराजीयात की किस्म बारानी सोयम है जमाबन्दी सम्वत् 2027 में भी उक्त गत खसरा नम्बर 96 की आराजीयात का खातेदार गोदू वल्द बींजा जाट के नाम दर्ज है तथा उक्त आराजीयात की किस्म बारानी सोयम है। इस प्रकार उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 187 कभी भी गैर मुमकिन वन भूमि नही रही है। उक्त भूमि पर अपीलांट ने गोदू वल्द बींजा जाट की इजाजतन ही कदीम से अपने मकानात बनाकर उक्त आराजीयात पर पुख्ता मकानात तामिर कर मय परिवार आबाद चला आ रहा है। उक्त आराजीयात पर विधुत विभाग द्वारा जारी विधुत कनेक्शन तथा जल कनेक्शन लगे हुए है। इस प्रकार अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही उक्त निर्णय दिनांक 26.12.2024 पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित उक्त निर्णय को खारिज किया जावे।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि योग्य अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई हेतु व जवाब हेतु तारीख दिनांक 25.10.2024 की नियत की जिस पर अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष हाजिर होकर जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। परन्तु अदालत मातहत ने बाला–बाला ही दिनांक 26.12.2024 को उक्त प्रकरण का निर्णय कर दिया। अपीलांट को साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का अवसर ही नही दिया गया। अदालत मातहत ने दिनांक 26.12.2024 को उक्त निर्णय पारित करते समय पत्रावली पर सही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:12:26 IST
Reason: SelfAttested

ढ़ंग से अपना माईण्ड अप्लाई नही किया और मामला हाजा पर सही ढ़ंग से गौर नही फरमाया जबकि अदालत मातहत ने अपीलांट को ग्राम चिंचडोली के खसरा नम्बर 187 कुल रकबा 1.22 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन जंगल में से लगभग 0.07475 हैक्टर भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया ही अवैध है क्योंकि अपीलांट का मुख्य धंधा मजदूरी है तथा अपीलांट के पास रिहायश हेतु उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है तथा उक्त अतिक्रमी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कर व उक्त भूमि का नियमन कर आबादी हेतु पट्टा आंवटित किया गया है। भूमि हाल खसरा नम्बर 187 जिसके गत खसरा नम्बर 96 मौजा चिंचडौली तहसील खेतड़ी है जिसकी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012–2031 में खातेदार गोदू वल्द बिंजा कौम जाट के नाम बारानी सोयम दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2012 में भी उक्त गत खसरा नम्बर 96 की आराजीयात का खातेदार गोदू वल्द बींजा जाट के नाम दर्ज है तथा उक्त आराजीयात की किस्म बारानी सोयम है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2015 में भी उक्त गत खसरा नम्बर 96 की आराजीयात का खातेदार गोदू वल्द बींजा जाट के नाम दर्ज है तथा उक्त आराजीयात की किस्म बारानी सोयम है जमाबन्दी सम्वत् 2027 में भी उक्त गत खसरा नम्बर 96 की आराजीयात का खातेदार गोदू वल्द बींजा जाट के नाम दर्ज है तथा उक्त आराजीयात की किस्म बारानी सोयम है। इस प्रकार उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 187 कभी भी गैर मुमकिन वन भूमि नही रही है। उक्त भूमि पर अपीलांट ने गोदू वल्द बींजा जाट की इजाजतन ही कदीम से अपने मकानात बनाकर उक्त आराजीयात पर पुख्ता मकानात तामिर कर मय परिवार आबाद चला आ रहा है। उक्त आराजीयात पर विधुत विभाग द्वारा जारी विधुत कनेक्शन तथा जल कनेक्शन लगे हुए है। इस प्रकार अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही उक्त निर्णय दिनांक 26.12.2024 पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित उक्त निर्णय को खारिज किया जावे।

दौराने बहस रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सैनी ने कथन किया किया कि अपीलांट ने वन विभाग की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिस पर अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को [illegible] किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:12:26 IST
Reason: SelfAttested

[redacted]

जहां तक प्रकरण के गुणागुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 1.22 हैक्टर गैर मुमकिन जंगल में से 0.07475 हैक्टर भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य उज्र यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर प्रदान नही किया है। मिसल अदालत मातहत के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा हाजिर होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया है। इसके अलावा अपीलांट द्वारा ना तो अदालत मातहत एवं न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रकरण में विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय उपवन संरक्षक झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2024 उनवानी सरकार बनाम ईश्वर सिंह मुकदमा संख्या 74/2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु उपवन संरक्षक झुन्झुनू को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.5.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[redacted]र्य),
अतिरि[redacted]ला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:12:26 IST
Reason: SelfAttested